

सरकार में कौन सुप्रीम है वित्त विभाग या मन्त्री परिषद-बजट चर्चा के बाद उठा सवाल

शिमला/शैल। जयराज सरकार ने सत्ता संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह पूर्ववर्ती वीरभद्र सरकार के अन्तिम छः माह में लिये फैसलों की समीक्षा करेंगे। कई फैसलों की समीक्षा के बाद उन्हें बदल भी दिया गया है। कुछ पर तो जांच तक के आदेश हो चुके हैं। शराब कारोबार को लेकर बनाई गयी विवेक कारपोरेशन की जांच में तो एफआईआर तक हो चुकी है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमन्त्री ने बजट भाषण में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदन को दी है। इसी चर्चा के उत्तर में मुख्यमन्त्री ने यह भी घोषणा की कई संस्थान समीक्षा के बाद बन्द कर दिये गये हैं। इन संस्थानों को बन्द करने के कारण गिनाते हुए एक बड़ा कारण यह बताया गया कि इन्हें खोलने के लिये वित्त विभाग से स्वीकृति तक नहीं ली गयी और संस्थान खोल दिये गये। जब मुख्यमन्त्री ने सदन में यह खुलासा रखा है तो निश्चित रूप से यह सही ही होगा।

सरकार का कामकाज कैसे चलता है इसके संचालन की प्रक्रिया क्या रहती है इसके लिये सदन द्वारा वाक्यांश रुज ऑफ विजन परित है। इन नियमों में संवद्ध विभाग के कर्क से लेकर मन्त्री तक सबकी शक्तियों और कार्यों का बंटवारा किया हुआ है। कोई भी यदि कार्य निष्पादन में इन नियमों से बाहर जाता है या उनकी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ वाक्यांश कारवाई हो जाती है इन नियमों के मुताबिक सरकार में मुख्यमन्त्री से भी अधिक शक्ति पूरी मन्त्री परिषद की सामूहिक रूप से रहती है। इसलिये हर विभाग को हर छोटे बड़े फैसले को मन्त्री परिषद की बैठक में जाकर उसकी स्वीकृति की मोहर उस पर लगवाई जाती है। मन्त्री परिषद की बैठक में वित्त सचिव या उसका प्रतिनिधि भी मौजूद रहता है। यदि वित्त विभाग की किसी फैसले पर सहमति न भी रहे तो उसे अपनी भिन्न राय दर्ज करने का भी अधिकार रहता है। यदि वित्त विभाग की असहमति के बावजूद मन्त्री परिषद किसी फैसले का अनुमोदन कर देती है तो उसका फैसला ही सर्वोपरि रहता है। ऐसे में फैसला लेने वालों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा सकती है। बल्कि मन्त्री परिषद तो वित्त विभाग से वाक्यांश स्वीकृति प्राप्त फैसलों को भी पलटने का अधिकार रखती है। इस परिदृश्य में आज जयराज

सरकार पूर्ववर्ती वीरभद्र सरकार के शासनकाल के फैसलों को समीक्षा बाद के बदलने के लिये अधिकृत तो है लेकिन इनके लिये किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जयराज सरकार ने पूर्ववर्ती वीरभद्र सरकार के शासनकाल में लिये गये कर्जों और अन्य फैसलों के लिये वित्तिय कुप्रबन्धन का आरोप लगाया है। यह आरोप एक तरह से वित्त विभाग पर सीधा आरोप हो जाता है। आने वाले समय में प्रशासनिक विभाग कोई भी फैसला लेते हुए पहले वित्त विभाग की अनुमति मांगेगा। वित्त विभाग भी अनुमति देने से पूर्व सारे संवद्ध नियमों की अनुपालना और बिना कर्ज के धन की उपलब्धता देखेगा। आज कर्ज की जो स्थिति है और जो आगे बढ़ने वाली है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार के सारे घोषित लक्ष्यों में से शायद दस प्रतिशत भी पूरे नहीं हो पायेंगे। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जो बजट भाषण सदन में रखा और सदन ने चर्चा के बाद उसे अनुमोदित भी कर दिया है उसमें एफआईआर के तहत बहुत सारे बिन्दु चर्चा से छूट गये हैं। यह बिन्दु छूट गये हैं या जानबूझकर छोड़ दिये गये हैं इसका सही पता तो आने वाले समय में ही लगेगा।

स्मरणीय है कि Fiscal Responsibility and Budget-Management Act (FRBM) संसद द्वारा 2003 में लाया गया था और इसके वित्तिय घाटे को 2008 तक 3% तक लाना था। यह घाटे की स्थिति सरकारों के लिये तब आती है जब उसके खर्चे राजस्व से बढ़ जाते हैं। इन बढ़े हुए खर्चों को नियन्त्रित और कम करने के कदम उठाने के लिये यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट पर वित्तमन्त्री अरुण जेटली ने 2016 के शुरू में एक रिपोर्ट की गठन किया था। इसकी दूसरी रिपोर्ट 23 जनवरी 2017 को वित्तमन्त्री को सौंप दी गयी थी। इस रिपोर्ट के बाद वित्तमन्त्री अरुण जेटली केन्द्र के राजस्व घाटे को 2% की जगह 2017-2018 के लिये 1.9% पर ले आये हैं। इसी रिपोर्ट की रिपोर्ट के बाद केन्द्र के वित्त विभाग की ओर से मार्च 2017 में प्रदेश सरकार को भी एक सशक्त पत्र आया था लेकिन इस पत्र के बाद भी राज्य सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिये कोई कड़े कदम नहीं उठाये हैं बल्कि यह माना जा रहा है कि इस पत्र के बाद केन्द्र के द्वारा

हिमाचल को जो 71000 करोड़ दिये जाने की बात प्रधानमन्त्री मोदी ने अपनी मण्डि की जनसभा में उठाया था उसमें केन्द्र से प्रदेश को 71000 करोड़ की बजाये केवल 46793 करोड़ ही मिल पाये हैं।

ऐसे में प्रदेश सरकार ने अपने खर्चों के लिये कर्जों के साथ जो केन्द्र से सहायता मिलने की उम्मीद बांध रखी है वह सही में ही पूरी हो पायेगी इसको लेकर सन्देह हो रहा है। क्योंकि अपने राजस्व खर्चों को कम करने के लिये क्या उपाय किये जायें इसको लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं उठायी गयी है। बल्कि मार्च 2017

में जो केन्द्र के वित्त विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था उस पर वीरभद्र सरकार ने आय के स्रोत बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिये जो कमेटी हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनाई थी उसमें चौहान के साथ कोई और सदस्य नामित नहीं किया गया था। चौहान ने भी अपनी रिपोर्ट आचार संहिता लगने से कुछ समय पूर्व ही सरकार को सौंपी थी और यह रिपोर्ट मुख्यमन्त्री जयराज के मुताबिक एक बार भी मन्त्री परिषद के सामने नहीं रखी गयी है। इस खुलासे से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की व्यवहारिक वित्तिय स्थिति के बारे में पूर्व सरकार कितनी गंभीर

और ईमानदार रही है। लेकिन इस सबमें प्रदेश का वित्त विभाग भी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। क्योंकि वित्त विभाग ने कभी भी अपनी निर्भीक राय रिकार्ड पर सरकार के सामने नहीं रखी है। लेकिन इस बार अनचाहे ही मुख्यमन्त्री के माध्यम से वित्तविभाग पर कुप्रबन्धन का आरोप लग गया है। इस आरोप की वित्त विभाग की क्या प्रतिक्रिया रहती है और उसका प्रभाव सरकार पर क्या पड़ता है इसका खुलासा तो आने वाले समय में ही सामने आयेगा। लेकिन माना जा रहा है कि इससे सरकार का रास्ता आसान नहीं रहेगा।

No. 40(6) PF-I/2009 Vol.-II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(Plan Finance-I Division)

North Block, New Delhi, the 29th March, 2016.

To

The Principal Secretary (Finance),
Government of Himachal Pradesh,
Finance Department,
Shimla- 160017
Fax: 0177-2621859/2624520/2621586

Subject:

Annual Borrowing Ceiling for the financial year 2016-17.

Sir,

The net borrowing ceiling for the financial year 2016-17 for your State has been calculated as Rs. 3,540 crore considering base Fiscal Deficit target of 3% as recommended by Fourteenth Finance Commission (FFC).

2. The State may please ensure adherence with this ceiling while assessing resources for its Annual Plan for 2016-17, and also ensure that the State's incremental borrowings remain within this ceiling during 2016-17. The ceiling covers all sources of borrowings, including Open Market Borrowings, Negotiated Loans from financial institutions, National Small Saving Fund loans, Central Government loans including EAPs, other liabilities arising out of public account transfers under small-savings, Provident funds, Reserve Funds, Deposits, etc., as reflected in statement 6 of the State's Finance Accounts. Further, in case the outstanding balances in Cash Credit Limits (CCL) Accounts for Food procurement operations, if any, by the State at the end of the financial year exceeds the opening balances at the beginning of the year, the net increase shall be considered against the borrowing space of the State for the year 2016-17. However, the additional borrowing limits proposed under UDAY to take over DISCOMs liabilities by participating States would be beyond the limits prescribed by the FFC and not to be counted against the Fiscal deficit limits of respective States as per decision taken.

3. It is requested that the details of liabilities arising out of all source of borrowings as indicated in para 2 above and repayments thereof during 2014-15 (Actuals), 2015-16 (Actuals) and 2016-17 (Estimated) may be shared in the enclosed format latest by 14th April 2016 to update our records for 2014-15 & 2015-16 and to arrive at tentative allocation of borrowing space available to the States during 2016-17.

4. The GSDP estimate arrived at for the year 2016-17 in accordance with FFC recommendations duly adjusted for GDP growth adopted in Union Budget 2016-17 is Rs. 1,17,989 Crore. Please note that this GSDP estimate shall be used for evaluation of fiscal parameters for 2016-17.

6. Since the primary responsibility of remaining within the overall deb/GSDP norms recommended by FFC and the borrowing ceiling shall remain with the State, it is advisable to continually track the liabilities so that the State does not inadvertently breach its net annual borrowing ceiling. State may also calibrate its borrowings with expenditure requirements and approach the market after assessment of its treasury holdings.

Yours faithfully

(Mannohan Sachdeva)
Director
Tel: 23095691

हिमाचल देश में प्राकृतिक कृषि का वनों को वन अग्नि से बचाने के आदर्श बन कर उमरेगा: राज्यपाल लिए सहयोग करें प्रदेशवासी:वन मंत्री

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिन्दू नववर्ष की पूर्व संध्या पर कहा कि यह दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती की

स्थापित करने के कारण जैविक कृषि किसानों के लिए अब लाभकारी नहीं है तथा रसायनिक खादों के कारण कृषि की लागत में वृद्धि हो रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसानों के उत्पीड़न पर रोक

तैयार करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ने अपनी कामयाबी से सफलता को सिद्ध कर दिया है जो अन्यो के लिए भी एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में रसायनिक खेती के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनेक बीमारियों में

शिमला/शैल। वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि वन अग्नि जागरूकता अभियान-2018 के तहत मण्डी वन वृत्त के अन्तर्गत डेहर व सुन्दरनगर में तथा रामपुर वन वृत्त के तहत निरमण्ड व

सभी जिला परिषदों, खण्ड विकास समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, युवा मण्डलों, महिला मण्डलों, स्थानीय लोगों, स्थानीय प्रशासन व अन्य स्थानीय



दिशा में क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उन्होंने आशा जलाई की निकट भविष्य में हिमाचल देश में प्राकृतिक कृषि का आदर्श राज्य होगा तथा अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।

राज्यपाल कृषि विभाग द्वारा आयोजित 'शून्य लागत प्राकृतिक कृषि' सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को आरम्भ करने के प्रयासों तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जैविक उत्पादों के नाम पर उद्योग

नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि रसायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग जैविक कार्बन स्तर में कमी लाता है तथा पंजाब तथा हरियाणा के कुछ खेतों में यह स्तर 0.3 तक पहुंच चुका है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि प्रणाली ही केवल मात्र रसायनिक व जैविक खेती का विकल्प है। यह कृषि सुरक्षित है व किसानों की आय को दोगुना करने की क्षमता रखती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन लागत शून्य रहती है और उत्पाद भी बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इससे भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और इसके लिए पानी की भी कम जरूरत होती है। इस कृषि से मित्र-क्रीट की सुरक्षा करने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद

राज्यपाल ने प्रदेश में बंदरों के उत्पाद पर भी चिन्ता व्यक्त की तथा कहा कि किसान इस प्रमुख समस्या को लेकर उनके पास भी आए हैं।

इसके उपरान्त राज्यपाल ने किसानों के साथ विचार-विमर्श में भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि न केवल मिट्टी की उर्वरता एवं मिट्टी की जैविक मात्रा में निरंतर वृद्धि करती है, बल्कि किसानों की आर्थिकी में भी बदलाव लाने की क्षमता भी रखती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए इस प्रकार की कृषि उपयुक्त है, क्योंकि यहां पर लोगों के पास कम भूमि है तथा किसान ज्यादातर देशी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हैं, इसलिए यहां रसायनिक खादों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि कृषि की लागत में कमी लाई जा सके, लेकिन शून्य लागत कृषि को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना अभी भी एक चुनौती है, क्योंकि वर्षों से वह कृषि में रसायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये की लागत की 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' नामक एक नई योजना प्रस्तावित की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को प्रशिक्षण तथा आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक कृषि से कृषि प्रणाली में क्रान्ति लाई जा सकती है, बशर्ते किसान प्राकृतिक कृषि को अपनाएं। उन्होंने कहा प्रकृति में हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री तथा अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में प्राकृतिक कृषि को समझने के लिए आचार्य देवव्रत के कृष्णेश्वर स्थित गुरुकुल का दौरा किया। दल के सभी सदस्य आश्चर्य थे कि कृषि में लागत को कम करने का सबसे सफल तरीका प्राकृतिक कृषि ही है।

प्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोगों के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग, वन अग्नि जागरूकता अभियान-2018 के तहत वन अग्नि के प्रति लोगों को जागरूक करने व वन अग्नि से बचाव व सहयोग के लिए रेपिड फायर फोर्स के स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 16 से 27 मार्च 2018 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए मुख्य मंत्री द्वारा वन विभाग की दो टीमों को दो अलग-अलग हट्टों पर 15 मार्च 2018 को रवाना किया है।

गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश की

संगठनों से अपील की है कि वन विभाग की टीमों द्वारा वन अग्नि जागरूकता अभियान-2018 के तहत विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में उनका सहयोग करें। उन्होंने यह भी अपील की कि जन-जन तक यह संदेश पहुंचाए कि वनों में आग न लगाएं और न ही लगने दें।

उन्होंने कहा कि वन हमारे कीमती अमूल्य सम्पदा है। लोगों की लापरवाही से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की बहुमूल्य वन सम्पदा अग्नि की भेंट चढ़ जाती है। साथ ही वन्य जीवों व रिहाइशी घरों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि वन हमारी राष्ट्रीय धरोहर है इसे आग की भेंट न चढ़ने दें। प्रदेशवासी वनों को वन अग्नि से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास करें व वन विभाग का सहयोग करें।

IGMC नर्सिंग कालेज में प्रिंसिपल व एसोसिएट प्रोफेसर का निलंबन रद्द करने की मांग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ड एसोसिएशन व एच पी टीएनआई ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से भेंट करके आईजीएमसी नर्सिंग कालेज में प्रिंसिपल व एसोसिएट प्रोफेसर का निलंबन रद्द करने और मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को नर्सिंग कालेज में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया और कहा कि झूठी शिकायतों पर अध्यापकों को निलंबित किया जा रहा है जो सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नर्सिंग कालेज गेजेटिड व नान गेजेटिड टीचर्ड एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष संतोष मांटा महासचिव किरण धर्मा व टीएनआई की अध्यक्ष ज्योति वालिया ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से आग्रह किया है कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर निलंबित की गई कालेज की दो महिलाओं प्रिंसिपल और अन्य एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबन तुरंत रद्द किया जाए और विभाग के पास आई शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए निलंबन के बाद छात्रों और कालेज के शिक्षकों को डरने का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते तीन साल में कालेज की टीचिंग फेकेलटी को निलंबित करने की यह दूसरी घटना है जिसके कारण अब अध्यापकों में भय पैदा हो रहा है कि कब कौन किस की झूठी शिकायत करके उसे सरकार से निलंबित करवा दे। एसोसिएशन ने कहा कि नर्सिंग कालेज की पहली प्रिंसिपल

31 मार्च को रिटायर हो रही है और सरकार द्वारा उत्तम निलंबन के रूप में विदाई देना उनके 38 साल के सर्विस कैरियर पर पहला और अंतिम दाग होगा। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने दोनों संगठनों को भरोसा दिलाया कि वह मामले की गंभीरता को समझते हैं इसलिए निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निलंबन रद्द करने बारे भी उचित समय पर उचित निर्णय करने का आश्वासन दिया। इस दौरान वहां मौजूद प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने भी प्रतिनिधिमण्डल को भरोसा दिलाया कि वह भी प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल और नर्सिंग कालेज में दो निलंबन पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार से मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करेंगे। दोनों संगठनों ने शिक्षा मंत्री और चौपाल के विधायक द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग स्वास्थ्य मंत्री से करने का भरोसा देने पर उनका आभार जताया। दोनों संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार द्वारा उनकी बात को सुनने और तुरंत कार्रवाई का भरोसा देने के लिए भी आभार जताया। प्रेस सचिव रुप शर्मा ने बताया कि इस दौरान उनके एसोसिएशन की मुख्य सलाहकार कमला तनवार्य वरिष्ठ उप प्रधान वीणा रणौत, उप प्रधान प्रेमा नेगी, संयुक्त सचिव वर्षा वर्मा, कार्यालय सचिव शशि किरण, कोषाध्यक्ष पावती नेगी व रमा बगसेट के अतिरिक्त संगीता शर्मा व रंजना ठाकुर व इंदिरा धीमान सहित अन्य भी प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT *NOTICE INVITING TENDER*

Sealed item rate/percentage rate tender on Form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD, Arki on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the competent (In this regard the decision of the Executive Engineer shall be final) contractors enlisted with HP, PWD in appropriate class whose registration stood renewed as per revised instruction and also registered dealers under the Himachal Pradesh sales Tax Act, 1968. The application for tender form will be received on 19.4.2018 upto 4.00 P.M. The tender form will be issued on 21.4.2018, upto 4.00 P.M. The tender form will be received on 23.4.2018, upto 10.30 A.M. and will be opened on the same day at 11.00 A.M. in the presence of the contractors or their authorized representative who may like to be present. The form can be had from this office against cash payment as shown below (Non refundable) during the working hours on 19.4.2018. The earnest money should be deposited in the shape of National Saving certificate, Time deposit/Post Office saving bank account in any of the Post Office in H.P. duly pledged in the name of the Executive Engineer, Arki Division, HP, PWD. Arki and tender form will be issued only those contractors who will deposit the Earnest Money at the time of sale of tender. The conditional tenders shall not be entertained. If holiday is declared suddenly by the govt. on the above date due to some reason the tender shall be received and opened on the next working day. The intending contractors/firms will have to produce all required documents at the time of making application such as Income Tax clearance certificate for the proceeding year, registration/renewal of registration and sales tax number (Under H.P.G.S.T.) Act. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which their tender will be rejected. No tender form shall be issued to the contractors/firms who have already two works in HP.PWD. The offer of the tender shall remain open for 120 days from the date of opening of the tender. The Executive Engineer reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Job No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Form	Cost of form	Time
	Annual Maintenance of Galu Mangu road Km. 0/0 to 1/0 (SH-17-Providing renewal 25mm thick bituminous concrete in Km. 0/0 to 1/0	8,13,858/-	16,300/-	6&8	350/-	2 Months

TERMS & CONDITIONS:-

- The tender documents shall be issued only to those contractors/firms who fulfill the following criteria:-The latest renewal of enlistment/proof of valid registration and income tax clearance certificate/Permanent Account Number (PAN) must accompany the request for obtaining the tender documents.
- The contractor should be registered under H.P. General Sale Tax Act.1968 and a proof thereof must accompany the request for obtaining the tender documents.
- The applications for obtaining tender documents must be accompanied with earnest money in the shape of National Saving certificate/Time deposit account in any of the Post Office in H.P./F.D.R. from any Nationalized Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer. Tender applications received without Earnest Money shall not be entertained and out rightly rejected and no tender form will be issued.
- Ambiguous/telegraphic/Conditional tenders or tender by fax/E-mail shall not be entertained/considered and will summarily be rejected.
- The Executive Engineer, reserve the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
- The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.

Adv. No.-4321/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

संयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - अरुणा

अन्य सहयोगी

भारती शर्मा

रजनीश शर्मा

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सुरेन्द्र ठाकुर

रीना

सीता

मुख्यमंत्री ने किया वन अग्नि जागरूकता अभियान का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आगजनी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में वनों में आग की घटनाओं की रोकथाम तथा इन्हें नियंत्रित

अधिक पैदावार के उद्देश्य से वनों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हरे-भरे प्रदेश को बर्बाद करने जैसा है और पर्यावरण को भी भारी नुकसान



करने के लिए दो तीर्थ अग्निशमन वाहनों को हरी झण्डा दिखाकर 'वन अग्नि जागरूकता अभियान-2018' का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान को पूरे प्रदेश में वन अग्नि की बड़ी घटनाओं अथवा अन्य संबद्ध घटनाओं की स्थिति में बचाव तथा आवश्यक कदम उठाने बारे जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है।

ठाकुर ने कहा कि वनों में आग की घटनाओं में लिप्त पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे अभियानों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिए। लोगों को घास की

पहुंचता है। उन्होंने कहा कि वनों को आग लगाने के प्रयास से घास की बढ़ोतरी की अवधारणा भी सही नहीं है। हमें वन क्षेत्रों को संरक्षित रखना चाहिए तथा इन्हें आग से बचाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी तथा जागरूकता अभियानों से आग की घटनाओं पर रोक लग सकती है।

उन्होंने कहा कि 'त्वरित वन अग्निशमन बल' में 1900 स्वयंसेवी बतौर सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पैदल एवं सार्विकल रैलियां, चोट शो, नुक्कड़ नाटकों, पेंटिंग तथा व नारा लेखन तथा प्रदर्शनों आयोजित की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस अभियान में भाग लेने तथा इसका

लाभ उठाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की मुख्य विशेषताओं की नियमावली का भी विमोचन किया।

वन मंत्री श्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि जागरूकता अभियान 16 मार्च से 27 मार्च, 2018 तक दो रूटों पर एक साथ चलाया जाएगा। इसमें पहला रूट कांगू-सुकेत-जयदेवी-जरी-पतलीकुहल-उरला-जोगिन्द्रनगर-लडभट्टोल-बैजनाथ-द्रोह-गोपालपुर-चुवाड़ी-चम्बा डलहौजी-देहरा तथा दूसरा रूट निरमण्ड-रामपुर-सुन्नी-अर्की-अधर-बिजड-बंगाना-अम्ब-रामशहर-नालागढ़-त्रिलोकपुर-कोलर-पांवटा-माजरा-कफोटा-नाहन-जामटा-धर्मपुर तथा सोलन होगा। अभियान के दौरान दोनों वाहन जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे।

इससे पूर्व, वन विभाग ने शिमला के रिज मैदान में दौड़ का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों, वन अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वन मंत्री ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष डारजीव बिन्दल, शहरी विकास मंत्री सरदीप चौधरी, विधायकगण, प्रधान मुख्य अरण्यखन जीएस गोरया भी वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित उपस्थित थे।

उप राष्ट्रपति के राज्य दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

शिमला/शैल। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के प्रदेश के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए

लेने के लिए राज्य के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को



बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने की।

उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू हमीरपुर जिले के बडू में 7 अप्रैल, 2018 को आयोजित होने वाली 9वीं भारतीय युवा साईंस कांग्रेस में भाग

उप राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्वागत, प्रोटोकॉल व सुरक्षा इत्यादि तैयारियों के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को दौरे के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की कठिनाई

का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर बेहतर समन्वय के लिए सम्पर्क अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा।

विनीत चौधरी ने कहा कि उप राष्ट्रपति के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजन की पृष्ठभूमि से संबंधित सामग्री समय पर तैयार की जाएगी।

उप राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को सफल बनाने के लिए बैठक में अन्य सभी प्रबन्धों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी, प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन के सचिव डॉ. सुनील चौधरी, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक शिमला ओमापति जमवाल सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा: परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान के मद्देनजर राज्य सरकार इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों की बड़ी विश्वसनीयता है, और बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिये इस प्रणाली का सहारा लेते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी-बूटियों की बहुत अधिक मांग है जिसके चलते इनके वाणिज्यिक उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इन

जड़ी-बूटियों के विपणन के लिये किसानों का देश की प्रमुख फार्मसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करवाएगा, ताकि मांग के अनुरूप किसान इन औषधीय पौधों की खेती कर सकें और उनकी आर्थिकी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि विभाग किसानों और विशेषकर युवाओं को औषधीय पौधों की खेती करने तथा इसके महत्व के बारे में जागरूक भी करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अनिमिया की रोकथाम के लिये राज्य के तीन चयनित विकास खण्डों करसोग, कसौली तथा ठियोग में जिसके लिये आगामी बजट में प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पोषण मिशन को चम्बा, हमीरपुर, सोलन

तथा शिमला में लागू किया जाएगा। परमार ने आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2018-19 के लिये 263 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है और चिकित्सकों को 200 पद हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा आयुर्वेद फार्मासिस्टों के 429 पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आयुर्वेद अस्पतालों में चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

शिमला/शैल। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा

एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डा. राम



हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के लिए दूसरी बार पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने हि.प्र. विधानसभा में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में निर्वाचन रिटिंग अधिकारी से नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल, उपाध्यक्ष हंस राज, सिंचाई

लाल मारकण्ड, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्तौ, भाजपा संगठन सचिव पवन राणा, नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, जे.पी. नड्डा की धर्मपत्नी मलिका नड्डा तथा पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विपिन सिंह परमार ने दिव्यांग बच्चों के बीच मनाया जन्मदिन

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विपिन सिंह परमार वीरवार देर सायं शिमला के उपनगर दली स्थित मूक एवं बधिर स्कूल पहुंचे और वहां दिव्यांग बच्चों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया।

परमार ने कहा कि राज्य सरकार

निराखरने की। उन्होंने कहा कि बहुत से दिव्यांग बच्चे समाज में आम नागरिकों के समान योगदान कर रहे हैं। अनेक दिव्यांगजन सरकारी सेवा क्षेत्र में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं।

परमार ने इस अवसर पर बच्चों के साथ संवाद किया और उनका मनोबल



विशेष रूप से सक्षम बच्चों के हितों पर ध्यान दे रही है और इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, खान-पान व रहन-सहन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बच्चों की देखभाल कर रहे कर्मियों व अध्यापकों को इन बच्चों के कल्याण के लिये समर्पण की भावना से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। इन बच्चों में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है, आवश्यकता है तो केवल उसे

बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 'आप दूसरों की तरह समाज के लिये विशेष हैं' और अच्छा जीवन जीने के लिये आगे बढ़ने की सोच तथा कुछ कर पाने का जज्बा होना बहुत जरूरी है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिव्यांग बच्चों को फल, सब्जियां, केक व मिठाईयां इत्यादि वितरित की। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया।

'एक ईट शहीद' के नाम अभियान के तहत मुख्य सचिव ने भेंट की एक ईट

शिमला/शैल। मुख्य सचिव विनित चौधरी ने 'एक ईट शहीद' के नाम अभियान के अन्तर्गत बिलासपुर

नकद राशि नहीं ली जाती और यदि कोई इस पुनीत कार्य के लिए नकद राशि देकर अपना योगदान देना चाहता



में बनने वाले शहीदी स्मारक के लिए एक ईट भेंट की तथा उन्होंने अपना एक दिन का वेतन अंशदान के रूप में देने को कहा।

अभियान के संयोजक संजीव राणा ने कहा कि विनित चौधरी का यह प्रयास स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी से भी

है तो हम उसी के हाथ से मिस्त्री व मजदूरों को पारिश्रमिक दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा दिए जाने वाला एक दिन का वेतन उन्हीं के हाथ से मिस्त्री व मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया जाएगा।

संजीव राणा ने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत शहीदी स्मारक बनाने का मुख्य उद्देश्य आने वाली युवा पीढ़ी को शहीदों की कुर्बानियों से परिचित करवाना है। इस अभियान के तहत हिमाचल में पहला शहीदी स्मारक बिलासपुर में बनाया जा रहा है।

ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएँ ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है।आचार्य.चाणक्य

सम्पादकीय

बाजार बनते जा रहे हैं निजी स्कूल



प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों ने इस शैक्षणिक सत्र से 15% फीस बढ़ा दी हैं। अभिभावक इस फीस वृद्धि से परेशान ही नहीं आतंकित हैं। फीस ही नहीं यह स्कूल अब किताबें और वर्दीयाँ भी अपरोक्ष में बेच रहे हैं क्योंकि इसके लिये कुछ ही दुकानें चिन्हित की जाती हैं। वर्दी आदि में अक्सर कोई न कोई छोटा सा बदलाव कर दिया जाता है। जिसके कारण हर साल यह वर्दी नयी लेनी पड़ती है। अपने आप कपड़ा लेकर अभिभावक खुद वर्दी सिला नहीं सकते। इसलिये उस चिन्हित दुकान से ही यह सब कुछ लेना पड़ता है। किताबें-कॉपियाँ भी स्कूल से लेनी पड़ती हैं और उन पर जिल्द चढ़ाने का काम अभिभावकों को स्वयं करना होता है। स्कूल या चिन्हित दुकान द्वारा दिये जा रहे सामान की गुणवत्ता पर कोई सवाल पूछने का असर बच्चे पर पड़ता है। उसे एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। पढ़ाई के स्तर की स्थिति यह रहती है कि यदि अभिभावक खुद घर में न पढ़ाये तो बच्चा स्कूल में चल ही नहीं सकता। क्योंकि होम वर्क और टेस्ट का इक्वेटा इतना बोझ बच्चे पर आ जाता है कि दोनों काम एक साथ कर पाना स्वभाविक रूप से संभव ही नहीं हो सकता। हर रोज बच्चों की नोट बुक पर कोई न कोई नोट रहता है लेकिन बच्चे को गलती पर समझाया नहीं जाता है कि यह गलती है और इसका सही यह है। यह व्यवहारिक स्थिति लगभग सभी स्कूलों की है।

आज आर्य समाज, डीएवी (दयानन्द एंग्लो वैदिक) और दयानन्द पब्लिक नाम से अलग-अलग संस्थाएँ हो गयी हैं जो कभी एक ही हुआ करती थी। यह कब और क्यों अलग-अलग हुईं इसमें नहीं जाना चाहता। यह संस्थाएँ इंग्लिश पब्लिक स्कूलों के विकल्प के तौर पर आयी थी और कुछ समय तक सही में इन्होंने इस दिशा में काम भी किया है। लेकिन आज यह सारी व्यापारिकता इन संस्थाओं के स्कूलों में इस कदर आ गयी है कि इंग्लिश स्कूलों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। पिछले दिनों शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित डीएवी स्कूल की नौवीं कक्षा के विद्यार्थी को लेकर अभिभावकों ने मीडिया में भी दस्तक दी थी। सरोकार था कि इस क्लास के बीस छात्र वार्षिक परीक्षा परिणाम में फेल दिखा दिये गये। इनके अभिभावक इन्फेक्ट हुए और उन्होंने स्कूल से प्रार्थना की कि उनके बच्चों की छुट्टियों के बाद फिर से परीक्षा ले ली जाये। काफी अनुनय-विनय के बाद स्कूल इसके लिये सहमत हो गया। बच्चों ने छुट्टियों में और मेहनत की फिर परीक्षा दी लेकिन इस बार फिर सारे बच्चे पहले से भी ज्यादा अन्तर से फेल हो गये। इस पर अभिभावकों ने स्कूल से इनके पेपर दिखाने का आग्रह किया। लेकिन इस आग्रह को माना नहीं गया। पेपर न दिखाने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। यह एक निजी स्कूल है सरकारी तन्त्र का इसमें कोई दखल नहीं है। इस कारण से इन अभिभावकों के पास स्कूल की इस हठधर्मिता का कोई ईलाज नहीं है। सिवाय इसके कि वह बच्चों को यहां से निकालकर कहीं और ले जायें और फिर दूसरा स्कूल इन फेल बच्चों को अपने यहां दाखिला क्यों दे इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में अभिभावकों की पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने हजारों रुपये इन पर खर्च किये हैं। इसी तरह पिछले वर्ष शैमराँव स्कूल को लेकर भी अभिभावक शिकायत कर चुके हैं।

इस परिदृश्य में यह सवाल उठाना स्वभाविक है कि यदि नर्सरी के बच्चे की फीस 42000 रुपये जायेगी तो अगली क्लासों में यह कहां तक बढ़ेगी और जिन माता-पिता को दो बच्चों की फीस ऐसी देनी पड़ेगी उनकी हालत क्या हो जायेगी। प्रदेश में जब कई निजी विश्वविद्यालय धूमल शासन में खुले थे तब इनके विधेय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जैसे छात्र संगठन ने भी सवाल उठाया था कि शिक्षा का बाजारीकरण कब तक। हर संवेदनशील व्यक्ति ने इसका समर्थन किया था। आज संयोगवश प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर कई अन्य मंत्री और विधायक इसी छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं। इस नाते यह लोग इस पीड़ा को आसानी से स्वयं समझ सकते हैं कि सही में स्कूल शिक्षा कितनी मंहगी होती जा रही है और यह मंहगा होना ही इसका बाजारीकरण है।

अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। इसके लिये सबसे पहले यह मानना होगा कि आज रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल हो गया है। रोटी, कपड़ा और मकान अपने में एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है क्योंकि भीख मांगने वाले से लेकर अरबपति तक यह सबकी एक बराबर आवश्यकता है। शिक्षा भी अब ऐसी ही आवश्यकता हो गयी है। रोटी और मकान की सुनिश्चितता के लिये सस्ते राशन और सस्ते मकान तक सरकार कई योजनाएँ ला चुकी है। इन योजनाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर उपदानों और अनुदानों के माध्यम से कितना बड़ा असर पड़ा है यह अलग से एक विस्तृत चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा चल भी पड़े है। लेकिन क्या शिक्षा को भी उसी स्तर का बाजार बनने दिया जा सकता है। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान में तो स्तर भेद हो सकता है। एक आदमी एक कमरे के मकान में भी गुजारा कर सकता है। साधारण खाना खा सकता है, दूसरे को बड़ा बंगला और फाईव स्टार का खाना चाहिये। लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं है। सारी शिक्षा का परीक्षा नियन्त्रण अलग-अलग बोर्डों के पास है। इन बोर्डों का पाठ्यक्रम और परीक्षा पेपर सबके लिये एक जैसा ही रहता है। अभी तक किसी भी निजी स्कूल को अपने में एक अलग बोर्ड के रूप में मान्यता नहीं है। सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के छात्र के लिये अलग-अलग परीक्षा पेपर नहीं होते हैं। ऐसे में इन स्कूलों की फीस का दांचा एक सा क्यों नहीं रखा जा सकता। क्योंकि अन्तिम कसौटी तो परीक्षा का परिणाम ही है। उसमें यह कोई मायने नहीं रखता की किसकी पढ़ाई सरकारी स्कूल से और किसकी निजी स्कूल से हुई है। आज के निजी स्कूल तो समाज में केवल वर्ग भेद पैदा करने के माध्यम होकर रह गये हैं। इन स्कूलों ने शिक्षा को एक बड़ा बाजार बनाकर रख दिया है। क्योंकि हरेक के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिये और अच्छी शिक्षा की कसौटी परीक्षा परिणाम की जगह यह हो गया है कि किसने कितने मंहगे स्कूल में शिक्षा ली है। यदि इस स्थिति को समय रहते न नियन्त्रित किया गया तो इसके परिणाम भयावक होंगे।

नई ऊर्जा के साथ नव वर्ष का स्वागत करें

कर्नाटक में युगादि, तेलुगु क्षेत्रों में उगादि, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंधी समाज में चैती चांद, मणिपुर में सजिबु नोंगमा नाम कोई भी हो तिथि एक ही है चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा, हिन्दू पंचांग के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का दिन, नव वर्ष का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन।

“डॉ नीलम महेन्द्र”

इस नववर्ष का स्वागत केवल मानव ही नहीं पूरी प्रकृति कर रही होती है।

ऋतुराज वसन्त प्रकृति को

पृथ्वी के नए सफर की शुरुआत के इस पर्व को मनाने और आशीर्वाद देने स्वयं माँ पूरे नौ रातों और दस दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं।

प्रदान करती है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने शत्रुओं से तभी मुक्ति मिलती है जब हम उन्हें पहचान लेते हैं। इसलिए



अपनी आगोश में ले चुके होते हैं, पेड़ों की टहनियाँ नई पत्तियों के साथ इठला रही होती हैं, पौधे फूलों से लदे इतर रहे होते हैं,

खेत सरसों के पीले फूलों की चादर से ढके होते हैं,

कोयल की कूक वातावरण में अमृत घोल रही होती है,

मानो दुल्हन सी सजी धरती पर कोयल की मधुर वाणी शहनाई सा रस घोल कर नवरात्रि में माँ के धरती पर आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो।

इस प्रकार नववर्ष का आरंभ माँ के आशीर्वाद के साथ होता है।

“माँ” यानी शक्ति स्वरूपा, उनकी उपासना अर्थात् शक्ति की उपासना, और नौ दिनों की उपासना का यह पर्व हममें वर्ष भर के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस सृष्टि में केवल मानव ही नहीं अपितु देवता, गन्धर्व, दानव सभी शक्तियों के लिए माँ पर ही निर्भर हैं।

दरअसल “दुर्गा” का अर्थ है “दुर्ग” अर्थात् “किला”।

जिस प्रकार एक किला अपने भीतर रहने वाले को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार दुर्गा के रूप में माँ की उपासना हमें अपने शत्रुओं से एक दुर्ग रूपी छत्रछाया

जस्तूरत इस बात को समझने और स्वीकार करने की है कि यह आज का ही नहीं बल्कि आनादि काल का शाश्वत सत्य है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे ही भीतर होते हैं। दरअसल हर व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक आसुरी और दूसरी दैवीय। यह घड़ी होती है अपने भीतर एक दिव्य ज्योति जलाकर उस शक्ति का आह्वान करने की जिससे हमारे भीतर की दैवीय शक्तियों का विकास हो और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश हो।

माँ ने जिस प्रकार दुर्गा का रूप धार कर महिशासुर, धूम्रलोचन, चंड मुंड, शुभ निशुंभ, मधु कटभ, जैसे राक्षसों का नाश किया, उसी प्रकार हमें भी अपनी भीतर पलने वाले

आलस्य, क्रोध, लालच, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे राक्षसों का नाश करना चाहिए।

नवरात्रि वो समय होता है जब यज्ञ की अग्नि की ज्वाला से हम अपने अन्दर के अन्धकार को मिटाने के लिए वो ज्वाला जगाएँ जिसकी लौ में हमारे भीतर पलने वाले सभी राक्षसों का, हमारे असली शत्रुओं का नाश हो। यह समय होता है स्वयं को निर्मल और स्वच्छ करके माँ का आशीर्वाद लेने का।

यह समय होता है नव वर्ष के आरंभ के साथ नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करने का।

यह समय होता है स्वयं पर विजय प्राप्त करने का।

दस्तावेजों के आर्डने में प्रदेश का बजट

प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है इसके महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं। आज प्रदेश के आम आदमी को इनकी जानकारी होना आवश्यक है। ताकि वह प्रदेश के हालात का सही आकलन स्वयं कर सके।

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक ।				
(रुपए करोड़ों में)				
	वास्तविक 2016-17	संशोधित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	
क. राजस्व प्राप्तियाँ				
(i) राज्य प्राप्तियाँ	8756.28	9547.83	10229.12	
(ii) केन्द्रीय प्राप्तियाँ (including Central Taxes)	14095.80	14332.43	15880.14	
(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान (excluding CSS loans)	3412.25	3833.63	4290.95	
योग (राजस्व प्राप्तियाँ)	26264.34	27713.89	30400.21	
ख. राजस्व व्यय				
(i) गैर योजना	20722.30	23829.28	28302.46	
(ii) योजना	1853.47	1903.49	2189.14	
(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमे	2768.44	3022.45	3076.37	
योग (राजस्व व्यय)	25344.21	28755.22	33567.97	
निवल (राजस्व घाटा / लाभ)	920.13	-1041.33	-3167.76	
ग. पूंजीगत प्राप्तियाँ				
(i) सकल ऋण (excluding W&M/ overdraft but includes net PF receipts)	8137.10	7345.56	7730.20	
(ii) ऋणों की वसुलियाँ	29.50	18.59	34.55	
(iii) पूंजीगत विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	
योग (पूंजीगत प्राप्तियाँ)	8166.60	7364.15	7764.75	
घ. पूंजीगत व्यय				
(i) ऋणों की अदायगीयाँ	2272.12	3104.55	3184.20	
(ii) गैर योजना पूंजीगत व्यय	513.15	319.36	475.95	
(iii) योजना पूंजीगत व्यय	5463.15	2764.56	2997.22	
(iv) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमे	812.42	839.18	1214.59	
योग (पूंजीगत व्यय)	9060.84	7027.65	7871.97	

IV. व्यय का विश्लेषण ।

मानक वार खर्चों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

कुल व्यय का मानकवार विवरण।		(रुपए करोड़ों में)				
मानकवार विवरण	वास्तविक 2016-17	कुल का प्रतिशत	संशोधित अनुमान 2017-18	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2018-19	कुल का प्रतिशत
1 वेतन	8106.91	22.47	9627.61	26.91	11263.63	27.18
2 मजदूरी	313.67	0.87	217.33	0.61	251.13	0.61
3 सहायता अनुदान (वेतन)	1000.81	2.77	1264.91	3.53	1215.60	2.93
4 सहायता अनुदान (अवेतन)	1382.04	3.83	1918.19	5.36	2222.21	5.36
5 सहायता अनुदान (पूँजीगत)	974.13	2.70	740.33	2.07	914.10	2.21
6 पेंशन	4114.17	11.40	4950.00	13.83	5892.93	14.22
7 भ्र्राज	3358.91	9.31	3500.00	9.78	4260.00	10.28
8 रख-रखाव	1782.76	4.94	2311.25	6.46	2741.26	6.62
9 मुख्य निर्माण कार्य	3151.77	8.74	3108.34	8.69	3819.52	9.22
10 निवेश	255.12	0.71	308.26	0.86	314.88	0.76
11 ऋण/अग्रिम	7232.53	20.05	3552.30	9.93	3632.34	8.77
12 उपदान	763.96	2.12	1037.52	2.90	1084.71	2.62
स्थापना से सम्बन्धित	401.02	1.11	414.48	1.16	471.20	1.14
क. यात्रा व्यय	42.16	0.12	46.13	0.13	43.86	0.11
ख. कार्यालय व्यय	155.36	0.43	160.38	0.45	187.00	0.45
ग. मोटर वाहन	39.98	0.11	46.47	0.13	45.71	0.11
घ. चिकित्सा प्रतिभूति	134.62	0.37	137.96	0.39	153.65	0.37
ङ. वर्दियाँ	2.90	0.01	2.99	0.01	4.25	0.01
च. कर किराया तथा उपकर	24.61	0.07	19.07	0.05	35.09	0.08
छ. स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.39	0.00	1.48	0.00	1.64	0.00
अन्य	3237.96	8.98	2832.35	7.92	3356.42	8.10
योग:	36075.76	100.00	35782.87	100.00	41439.93	100.00

III. राज्य के कर एवं करेतर राजस्व का विश्लेषण ।						
इनके अन्तर्गत विभिन्न मदों की वृद्धि दर और कुल राजस्व में इनके अंश से समझा जाना महत्वपूर्ण है।						
		कर राजस्व के भाग (राज्य के अपने स्रोतों से)				
		(रुपये करोड़ों में)				
	वास्तविक 2016-17	कुल का प्रतिशत	संशोधित अनुमान 2017-18	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2018-19	कुल का प्रतिशत
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	4064.46	49.28
भू – राजस्व	7.64	0.11	19.63	0.25	21.20	0.26
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	209.16	2.97	270.10	3.40	270.10	3.27
राज्य उत्पाद शुल्क	1307.87	18.58	1351.49	17.01	1425.76	17.29
मूल्य वर्धित कर(वैट)	4381.91	62.25	5135.48	64.63	1319.82	16.00
वाहन कर	279.58	3.97	264.66	3.33	300.11	3.64
माल तथा यात्री कर	121.37	1.72	145.27	1.83	145.27	1.76
विद्युत कर	371.67	5.28	350.00	4.40	350.00	4.24
अन्य कर	359.85	5.11	409.15	5.15	351.20	4.26
कुल कर राजस्व	7039.05	100.00	7945.78	100.00	8247.92	100.00

	करेतर राजस्व के भाग (राज्य के अपने स्रोतों से)					रुपये करोड़ों में
	वास्तविक 2016-17	कुल का प्रतिशत	संशोधित अनुमान 2017-18	कुल का प्रतिशत	बजट अनुमान 2018-19	कुल का प्रतिशत
विद्युत	650.93	37.91	650.00	40.57	725.00	36.59
वाणिज्यी	18.50	1.08	44.39	2.77	46.43	2.34
खनन एवं खनिज	176.22	10.26	136.60	8.53	175.28	8.85
अन्य	871.59	50.76	771.06	48.13	1034.49	52.22
कुल करेतर राजस्व	1717.24	100.00	1602.05	100.00	1981.20	100.00

V. योजना का सेक्टरल विभाजन ।		रुपये करोड़ों में	
		2018-19	
1	विद्युत	680.00	
2	परिवहन	1094.89	
3	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	430.85	
4	जल आपूर्ति	262.91	
5	प्रारम्भिक शिक्षा	375.04	
6	उच्च शिक्षा	377.62	
7	स्वास्थ्य व आयुर्वेद	327.73	
8	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	843.88	
9	ग्रामीण विकास	127.92	
10	अन्य	1779.16	
योग :		6300.00	

VII. सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों का विवरण।				
		रुपये करोड़ों में		
क्र.सं.	बोर्ड / निगम का नाम	31-3-2017 को गारंटी की अधिकतम राशि	31.3.2017 को गारंटी दी गई राशि और शेष	जोखिम भरी प्रतिभूतियों की राशि
1	हि.प्र. वित्तीय निगम	16.49	16.49	12.37
2	हि.प्र. हथकरघा तथा हस्तकला नि.	0.60	0.60	0.45
3	हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	7126.95	3760.25	1880.12
4	एग्रो उद्योग निगम	0.40	0.40	0.30
5	पथ परिवहन निगम	248.02	201.09	201.09
6	मिल्क फ़ेड	5.00	0.09	0.06
7	हि.प्र. खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	4.94	4.94	3.70
8	हि.प्र. अनु.जाति/अ.ज.जाति निगम	27.00	3.99	2.99
9	हि.प्र. पिछड़ा वर्ग निगम	20.00	0.00	0.00
10	अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम	40.00	11.57	8.68
11	हि.प्र. संरचना विकास बोर्ड	211.10	211.10	0.00
12	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम	0.00	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम	20.00	17.66	13.24
	योग (क):	7720.50	4228.18	2123.00
	सहकारिता (ख):	325.00	280.02	210.01
	कुल योग (क + ख)	8045.50	4508.20	2333.01

अथ पृष्ठ 6 पर

प्रदेश में ऊना में है सबसे अधिक बन्दर

शिमला बन्दर और आवारापशु आज किसान के लिये इतनी बड़ी समस्या बन गये हैं कि इनके आतंक के चलते कई गांवों में किसान खेती छोड़ने पर विवश हो गये हैं। हर राजनीतिक दल इस समस्या को स्वीकारता है। विधानसभा के हर सत्र में इस समस्या को लेकर सवाल आते हैं सरकार जवाब और आश्वासन दोनों देती है। इस बार सरकार ने आवारा पशु समस्या से निपटने के लिये गो सेवा आयोग के गठन की घोषणा भी की है। गो वंश के विकास के लिये शराब की प्रति बोलत पर एक रुपये का सैस लगाया गया है। बेसहारा पशु रहित पंचायत को दस लाख का पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। कृषकों को सशक्त करने के लिये मण्डी तथा सोलन जिलों में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के दूसरे चरण को शुरू करने की भी

⇒ ऊना के ही चार लोगों ने बन्दर पकड़ कर कमाये 71,77,000
⇒ ऊना के ही बौल में है इनका नसबन्दी केन्द्र भी

घोषणा की है। गांवों की सार्वजनिक चरागाहों की पहचान करने की भी घोषणा की गयी है। मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना से बन्दरों, जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने की बात की गयी है। लेकिन इसमें बन्दरों की समस्या से कैसे निपटा जायेगा इसका अलग से कोई जिक्र नहीं किया गया है।

आज किसान जितना बन्दरों से आतंकित है उतना आवारा पशुओं से

नहीं है। बन्दरों के कारण बन्दर बहुल क्षेत्रों में करीब 90% खेती योग्य भूमि बंजर पड़ी हुई है। यदि आज गांवों में सरकार की सस्ते राशन की दुकानें न हो तो लोगों के लिये राशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जायेगी। बन्दरों की समस्या से निपटने के लिये सरकार ने इनको पकड़ने के लिये प्रति बन्दर 500 ₹ की राशि भी दी है। कई लोगों ने बन्दर पकड़कर लाखों रुपये कमाये हैं। ऊना में तो चार लोगों पिताम्बर दत्त शर्मा, राजेन्द्र सिंह, उधम सिंह, राम देव और गगन सिंह ने वन विभाग के रिकार्ड के मुताबिक 71,77,000

रुपये कमाये हैं। सरकार बन्दरों को मारने के लिये किसानों को बन्दुक लाईसेंस देने की भी योजना शुरू की थी। बन्दरों की नसबन्दी पर करोड़ों खर्च किये गये हैं। 2013 -14 के आंकड़ों के मुताबिक 94334 बन्दरों की नसबन्दी की गयी है। प्रदेश में सात जगहों टूटी कण्डी, सस्तर, गोपालपुर, बौल, सरोल, स्लापड़ और पांवटा साहिब पर यह नसबन्दी केन्द्र चल रहे हैं। लेकिन सरकार के इन सारे प्रयासों का लाभ क्या रहा है। इसका कोई अधिकारिक आंकलन नहीं किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश

में 2004 में 3,17,112 बन्दर थे। 2004 के बाद 2013 में फिर इनकी गणना की गयी और उसमें 2,36,834 बन्दर पाये गये। इसके बाद 2015 में फिर गिनती की गयी तब इनकी संख्या 2,07,614 पायी गयी है। बन्दर पकड़ने और उनकी नसबन्दी करने पर सरकार करोड़ों खर्च कर चुकी है। इनकी गिनती में प्रत्येक सर्कल के अलग-अलग आंकड़े दिये गये हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बन्दर ऊना में 19174 हैं जबकि 2004 में यह संख्या 11798 और 2013 में 20454 थी। तीनों बार की गणना के आंकड़ों को सामने रखने से इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिह्न लग जाता है क्योंकि ऊना के बौल में ही इनका नसबन्दी केन्द्र है। ऊना के ही चार लोगों को बन्दर पकड़ने के 71,77,000 रुपये दिये गये हैं। लेकिन सारे प्रयासों का परिणाम तीन वर्षों में केवल 1283 बन्दर कम होना ही रहा है। क्या सरकार के इन प्रयासों से बन्दरों के आतंक से किसान मुक्त हो पायेगे यह बड़ा सवाल है।

	वर्ष 2004	वर्ष 2013	वर्ष 2015
1. शिमला	11165	5827	5580
2. रोहडू	4582	2906	4855
3. चौपाल	4653	3937	3293
4. ठियोग	5602	3761	2092
5. बिलासपुर	12383	9151	13810
6. कुनिहार	7569	5310	6035
7. नालागढ़	3114	2996	3114
8. रामपुर	6473	4297	2465
9. आनी	5411	2790	3015
10. किन्नौर	3179	2690	575
11. कोटगढ़	2555	3567	730
12. मण्डी	6808	5348	4128
13. सुकेत	7510	7904	7797
14. जोगिन्द्रनगर	10046	9430	4609
15. करसोग	7055	5916	3611
16. नाचन	6767	4422	3129
17. धर्मशाला	13787	6841	8884
18. नूरपुर	18885	12548	14931
19. पालमपुर	16319	6340	8676
20. चम्बा	6912	7648	7888
21. भरमौर	1491	1916	1839
22. पांगी	1409	973	2764
23. चुराह	16470	4854	2756
24. डलहौज़ी	28230	8404	10869
25. कुल्लु	4075	3597	3052
26. पार्वती	5964	2949	424
27. सिराज	2451	3868	2088
28. लाहल	0	0	0
29. नाहन	13888	6981	5743
30. राजगढ़	12500	10041	9905
31. रेणुका	9010	5902	12466
32. सोलन	13580	7900	5319
33. पांवटा	9224	3108	2546
34. देहरा	0	8610	6241
35. ऊना	11798	20454	19174
36. हमीरपुर	13487	11772	5541

वाईल्ड लाईफ

1. शिमला	4405	1959	964
2. सराहन	1071	1006	673
3. चम्बा	182	1026	419
4. हमीरपुर	1538	1989	601
5. शमशी	1860	1684	1231
6. कुल्लु	3349	2000	1611

धर्मशाला में इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू

धर्मशाला/शैल। स्वाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने हिमाचल की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी को धर्मशाला से हरी झंडी दिखा कर खाना किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से हिमाचल की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी चलने से लोगों को लाभ मिलेगा। कपूर ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी घोषणाएं और धन का प्रबंधन किया गया है, जिससे रोजगार के साधन सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे धन का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की दशा सुधारने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।

स्वाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर

ने धर्मशाला में कहा कि भाजपा द्वारा पेश किया गया बजट प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बेबुनियादी आरोप लगा रही है। किशन कपूर ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार पांच साल तक भ्रष्टाचार में डूबी रही और साढ़े 46 हजार करोड़ के कर्ज में प्रदेश को डूबोया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। अब कुछ कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं वो धीरे-धीरे सामने

आएंगी। कांग्रेस ने आए के साधन बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस का अतीत ऐसा रहा है कि उसने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि स्वाद्य आपूर्ति विभाग में भी सख्ती बढाई गई है। यह पहला बजट है जिसमें सभी का ध्यान रखा गया है।



दस्तावेजों के आईने में प्रदेश का बजट

पृष्ठ 5 का शेप

VI. राज्य सरकार के दायित्व ।

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केंद्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	कुल लोक ऋण	जी.आई.एस. जीपीएफ इत्यादि	अंशदान पैशन योजना	अन्य दायित्व	कुल दायित्व
2002-03	6393.12	2521.38	8914.50	2484.42		1810.55	13209.47
2003-04	9490.41	1536.42	11026.83	2720.19		1230.54	14977.56
2004-05	12299.79	1097.61	13397.40	2981.02		1279.98	17658.40
2005-06	12868.46	1070.60	13939.06	3291.11		1442.81	18672.98
2006-07	13475.99	1019.57	14495.56	3613.14	1.11	1688.50	19798.31
2007-08	13808.36	1014.78	14823.14	4153.56	28.99	2236.15	21241.84
2008-09	15219.00	970.88	16189.88	4668.44	95.64	2197.43	23151.39
2009-10	16611.70	983.85	17595.55	5214.11	155.99	198.09	23163.74
2010-11	17533.13	959.65	18492.78	6102.36	183.17	182.54	24960.85
2011-12	18428.24	947.16	19375.40	6737.90	238.27	142.50	26494.07
2012-13	19624.27	1018.37	20642.64	7849.64	88.51	126.50	28707.29
2013-14	21647.06	1012.42	22659.48	8736.31	46.77	0.00	31442.56
2014-15	24127.33	1070.73	25198.06	9921.47	32.07	0.00	35151.60
2015-16	26860.87	1058.69	27919.56	10639.90	8.36	0.00	38567.82
2016-17	31493.97	1076.30	32570.27	11844.91	8.05	0.00	44422.73

इन आंकड़ों में एस0.एल0.आर0. उधार, एन0.एस0.एस0.एफ0. नाबाई, एच0.एफ0.डी0.सी0., एल0.आई0.सी0., एन0.सी0.डी0.सी0., जी0.आई0.सी0. इत्यादि के रूप में बाजार से लिए गए ऋण, नान एस0.एल0.आर0. उधार और लोक लेखा के अन्तर्गत शीट 8448 में रखी गई व्याज सहित राशियां सम्मिलित हैं ।

इसमें राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र उपक्रम से लिए गए ऋण का दायित्व भी सम्मिलित है ।

प्रदेश में सड़क नेटवर्क तथा पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन क्षमता को विकसित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त

पूरे देश के लोगों से धार्मिक, ऐतिहासिक तथा साहसिक पर्यटन के लिए प्रदेश आने का आग्रह किया।

इसके उपरान्त, मीडिया से बात - चीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा



किस नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा, जो पहाड़ी राज्यों की जीवन रेखा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में न्यूज - 18 टीवी चैनल द्वारा आयोजित 'राईजिंग इण्डिया' शिखर सम्मेलन के दौरान मशहूर अभिनेत्री कंगना रणौत के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने न्यूज चैनल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्वाटर के साथ पैनल पर चर्चा 'नई राहें नए सपने' में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्रकृति ने नैसर्गिक सौन्दर्य से नवाजा है, जिसके कारण राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि इससे न केवल राजस्व अर्जित करने में मदद मिलती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। उन्होंने

कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के रमणीक स्थलों को स्वास्थ्य एवं स्वस्थ पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है, जो पर्यटन की अपार संभावना होने के बावजूद अभी तक अनछूए हैं। ऐसे गंतव्यों में बेहतर अधोसंरचना तथा सुविधाएं प्रदान कर विकसित किया जा सकता है ताकि सभी प्रकार के सैलानियों को प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी कार्य कर रही है तथा हैलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिये भी हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 62

नए घोषित उच्च मार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है तथा वर्तमान में प्रदेश में 4400 किलोमीटर लम्बे 69 उच्च मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शेष बचे पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए योजना तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि तथा बागवानी के सुदृढ़ीकरण, युवाओं को रोजगार, बेहतर कानून व्यवस्था, सस्ते दामों पर प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं, गुणात्मक शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जल विद्युत ऊर्जा, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुत्थान, कमजोर वर्गों के उत्थान, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल तथा सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा इस उद्देश्य का पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा, सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश प्रमुख सत्याल सक्सी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ. रचना गुप्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जाठिया देवी में आधुनिक टाउनशिप के लिए प्रदेश सरकार लेगी सहयोग: सरवीण चौधरी

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि शिमला के निकट जाठिया देवी में आधुनिक टाउनशिप हिमूड़ा की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका निर्माण सिंगापुर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना को अपना पूर्ण सहयोग देगी और इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ की जाएगी।

शिमला के हवाई अड्डे के नजदीक निर्धारित समय के भीतर पूरे होने वाले विश्व स्तरीय टाउनशिप का निर्माण कर रही है। उन्होंने एससीई को प्रदेश में इस तरह की अन्य गतिविधियों की सम्भावनाओं को तलाशने का भी आग्रह किया। उन्होंने एससीई को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सम्भावनाओं पर विचार विमर्श करने को आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि सरकार निवेश

और सिंगापुर कॉर्पोरेशन एन्टरप्राइजिज मेनहर्ट के साथ मिल कर इस परियोजना को प्रदेश के हित में सफल बनाएगी। सिंगापुर कॉर्पोरेशन एन्टरप्राइजिज के निदेशक ईवान चेया और मेनहर्ट कम्पनी के डॉ. नसीम ने जाठिया देवी टाउनशिप के बारे में प्रस्तुतियों के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

हिमूड़ा के मुख्य अभियन्ता दिनेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव आवास तरुण कूपर, हिमूड़ा के वरिष्ठ अधिकारी तथा एससीई व मेनहर्ट कम्पनी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।



चौधरी सिंगापुर कॉर्पोरेशन एन्टरप्राइजिज (एससीई) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल के साथ इस परियोजना के कार्यान्वयन की रणनीति पर भी चर्चा की। सिंगापुर कॉर्पोरेशन एन्टरप्राइजिज के दल का नेतृत्व निदेशक ईवान चेया जबकि मेनहर्ट कम्पनी के दल का नेतृत्व डॉ. नसीम कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे उद्यमियों को आमंत्रित करेगी, जो हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक होंगे। उन्होंने कहा कि आवास आम लोग की मूल आवश्यकता है और प्रदेश सरकार

मित्र वातावरण सृजित करेगी ताकि प्रदेश में आम लोगों को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

हिमूड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव उमेश कश्यप ने कहा कि प्राथिकरण का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनिजों विकसित करना है। समझौता ज्ञापन के बारे पहले ही विचार विमर्श हो चुका है और हिमूड़ा इस परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रयासरत है। हिमूड़ा

हमीरपुर/शैल। युवा कांग्रेस की रैली के बाद कांग्रेस में भड़की कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस एसी विभाग के अध्यक्ष सुरेश कुमार के आरोपों के बाद भड़की कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी प्रेमिला ने दस्तावेजों के साथ जोरदार हमला किया है। उन्होंने दावे से कहा कि कोई उसे कांग्रेस से निष्कासित नहीं कर सकता। प्रेमिला ने कहा कि मैं कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी ही रहूंगी।

कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी प्रेमिला ने हमीरपुर में प्रेसवार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खु से ही इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि कुछ पिछलग्गुओं की बातों में आकर सुक्खु नमनानी से पार्टी को हांक रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और कब अनुशासन समिति ने उनके कांग्रेस से निष्कासन की अनुशंसा की।

प्रदेश में जिला कल्याण समितियां गठित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कल्याण समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रिमण्डल के सदस्य जिला स्तर पर गठित इन समितियों के अध्यक्ष होंगे।

समितियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिये परामर्शी के रूप में कार्य करेंगी। योजनाओं को अनुमोदित करेंगी, अपने सुझाव देगी और योजनाओं का स्वरूप तैयार करेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल को जिला कल्याण समिति सिरमौर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर को जिला कल्याण समिति मण्डी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर को जिला कल्याण समिति कांगड़ा, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को जिला कल्याण समिति शिमला, बहुदेश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा, गैर परम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा को जिला कल्याण समिति किन्नौर, कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा को जिला कल्याण समिति लाहौल-स्पीति, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार को जिला कल्याण समिति बिलासपुर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर को जिला कल्याण समिति उना, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह को जिला कल्याण समिति हमीरपुर, वन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर को जिला

प्रेमिला ने ईडी से उनकी सम्पत्ति की मांग करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले वे लोग अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। उन्होंने कहा कि लोगों से पैसा उधार लेकर चेक बाउंस के मामलों में कोर्ट से सजा भुगत रहे लोग आज उनकी सम्पत्ति को लेकर आनाप शनाप टिप्पणियां किस मुंह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की सेवा करना उनका ध्येय रहा है। उनका जीवन गरीब परिवार में बीता और शादी के बाद उनके पति व पिता ने उन्हें जीवन यापन करने योग्य बनाया। उन्होंने न तो किसी से पैसा उधार लिया और न ही खड़ों नालों में खनन कर लोगों की जमीनों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एस सी विभाग के अध्यक्ष ने जो भी आरोप उन पर लगाए हैं, वे उनका सबूत दें नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कोर्ट में किया जाएगा।

कल्याण समिति कुल्लू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सेजल को जिला कल्याण समिति सोलन तथा विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज को जिला कल्याण समिति चम्बा का अध्यक्ष बनाया गया है।

सम्बन्धित जिले से राज्य/लोक सभा के सांसद, विधायक, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के प्रधान/महापौर समिति के गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त, समिति के उपाध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार सम्बन्धित जिलों के समस्त उप-मण्डलाधिकारी, जिला उद्योग के महाप्रबन्धक, उच्च शिक्षा के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के उप निदेशक, डी.आर.डी. के परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। सम्बन्धित जिलों के समस्त जिला कल्याण अधिकारी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। जिला कल्याण समिति का कार्य परामर्श देना है तथा समिति के सदस्यों के सुझाव आवश्यकता अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभागों को अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, लेकिन समिति के गैर सरकारी सदस्यों सांसद, विधायक, प्रधान, मेयर का कार्यकाल लोक सभा/राज्य सभा, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यकाल के समरूप होगा।

खाद्यान में वृद्धि के लिए हिमाचल को कृषि कर्मण्य पुरस्कार

शिमला/शैल। खाद्यान उत्पादन में सराहनीय वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2015-16 के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्राप्त किया।

पुरस्कार में एक ट्राफी, प्रशस्ति पत्र और पांच करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के दो प्रगतिशील किसानों जिनमें एक महिला किसान भी है को भी

पुरस्कृत किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) डॉ.श्रीकांत बालदी ने प्रदेश में खाद्यान उत्पादन में हासिल की गई इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए कृषि विभाग को बधाई देते हुए कहा कि तकनीकी जानकारी को किसानों तक पहुँचाने के लिए किये गए समर्पित प्रयासों के कारण खाद्यान उत्पादन में असाधारण बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में कुल खाद्यान उत्पादन 14.94 लाख टन से 16.40 लाख टन हो गया है। इस के अलावा विभाग ने पॉलीहाउस खोती, फसल

विविधिकरण, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और मुदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भी सराहनीय कार्य किया है।

कृषि कर्मण्य पुरस्कार वर्ष 2010-11 से कृषि मंत्रालय द्वारा धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दालों, और कुल खाद्यान के उत्पादन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु शुरू किया गया है। इससे पहले भी कृषि विभाग को वर्ष 2011-12 में गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए व वर्ष 2014-15 में खाद्यान उत्पादन में सराहनीय बढ़ोतरी के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

ममता गोयल प्रकरण से नगर निगम शिमला की कार्य प्रणाली सवालों में

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला ने 1997 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से कंप्यूटर सहायक का पद भरा था। रोजगार कार्यालय ने इसके लिये नगर निगम को बीस नामों की सूची भेजी थी। जिसमें से ममता

इसमें ममता रानी पुत्री जसवन्त राय नेगी के नाम से यह प्रमाणपत्र जारी हुआ है। एम.ए. 1989 में की गयी है। इसके बाद 1992 में कृष्णा कंप्यूटर से सर्टीफिकेट कोर्स किया गया। इसमें भी नाम ममता रानी पुत्री जसवन्त राय

में आये तीनों प्रमाण पत्रों में से दो में नाम ममता रानी पुत्री जसवन्त राय दर्ज है एक में ममता गोयल पुत्री बिहारी लाल गोयल दर्ज है।

नगर निगम ने यह सारा रिकार्ड सीमा विष्ट की आर्टीआई में ममता गोयल के संदर्भ में उसे उपलब्ध करवाया है। इस रिकार्ड से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि ममता रानी पुत्री जसवन्त राय और ममता गोयल पुत्री बिहारी लाल गोयल एक ही व्यक्ति नहीं हो सकती। लेकिन निगम में नौकरी एक ही ममता कर रही है। 2008 से

2017 तक यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में रहा है। वहां पर याचिका का संदर्भ मात्र इतना था कि अकेले रोजगार कार्यालय से ही नाम मंगवाकर चयन किया पूरी की जा सकती है या नहीं। उसको लेकर फैसला आ गया है। लेकिन आर्टीआई में नगर निगम ने जा दस्तावेज उपलब्ध करवाये हैं उनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ममता पुत्री जसवन्त राय और ममता पुत्री बिहारी लाल गोयल दो अलग-अलग प्राणी हैं। यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि यह रिकार्ड तो शुरू से ही निगम

के पास उपलब्ध था। फिर 2008 से यह मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया था। फाइनल फैसला अब नवम्बर 2017 में आया है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि यह फाईल समय-समय पर निगम प्रशासन के संज्ञान में रही है। फिर भी रिकार्ड में छिपे इतने बड़े विरोधाभास पर किसी की नजर क्यों नहीं गयी और इसे उच्च न्यायालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया। इस प्रकरण से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

NO: MCS/GA/4502/Mukhya/2010& 29/3 Dated:- 28/10/10

From The Assistant Commissioner-Cum-Public Information Officer, Municipal Corporation, Shimla.

To Smt. Seema Bisht, Bishri Bhawan, Sanjauli, Shimla-6

Subject:- Information under Right to Information Act, 2005.

Ref:- Your Application dated the 23rd September, 2010.

Madam,

The parawise information as asked by you under Right to Information Act is as under:-

- The copy of application of Smt. Mamta Goel for the post of computer Assistant is attached which addressed to the Commissioner, MC Shimla and copy thereof has been endorsed to the Hon'ble Mayor, MC Shimla. The said application has dated on 4.8.1997 vide Dy. No. 1296/Aa.97.
- The application received vide Dy. No. 1296/Aa.97 has not processed in noting portion of the concerned file, rather various order passed by the then Commissioner at the top of this application.
- There is no observation of Hon'ble Mayor in the application received vide Dy. No. 1296/Aa.97 in the concerned file.
- Copies of certificates of M.A. and Computer Diploma of Smt. Mamta Goel are attached.
- Copy of call letter No. Na.Nishi/Stha.sah./4679/Mu.97-1910, dated 19.8.1997 is attached.
- Attendance Sheet with signature of candidates is not in the record.
- The Joining Report of Smt. Mamta Goel is attached.
- A copy of letter No. LSG-B(1)/796, dated 2.8.1997 of the FC cum Secretary (Urban Dev.) to the Govt. of H.P. which received vide Dy. No. 709/Sa.97, dated 6.8.1997 is attached.
- A note dated 5.8.2010 written by the Assistant Commissioner, MC Shimla to the Supdt. General is attached.

गोयल का चयन इस पद के लिये हो गया बाद में CWP(T) No. 4704 Of 2008 के माध्यम से एक सीमा विष्ट ने इस नियुक्ति को इस आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी कि अकेले रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही नाम मंगवाकर यह चयन नहीं किया जा सकता। इस याचिका पर 31-8-2010 को फैसला आया। इस फैसले में इस चयन को अवैध करार देते हुए नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को ममता गोयल ने डबल बैंच में चुनौती दे दी। यह एलपीए नं० 177 Of 2010 उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्यन्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ में सुनवाई के लिये आयी और इस पर 8-11-2017 को फैसला आ गया। इस फैसले में एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए डबल बैंच ने ममता गोयल के चयन को सही करार दे दिया।

इस तरह ममता गोयल को उच्च न्यायालय से राहत तो मिल गयी। लेकिन इसी मामले में सीमा विष्ट ने 23-9-2010 को नगर निगम में एक आर्टीआई डालकर ममता गोयल के चयन से जुड़े सारे दस्तावेज मांग लिये। सीमा विष्ट की इस आर्टीआई के तहत जो दस्तावेजी सूचना आयी है उसमें निगम ने ममता गोयल के तीन सर्टीफिकेट संलग्न किये हैं। इनमें एक एम ए इतिहास (Fourth Semester) का रजल्ट कार्ड है।

दर्ज है। 1995 में हिमाचल कंप्यूटर सेंटर से डिप्लोमा कोर्स किया गया। इसमें नाम ममता गोयल पुत्री बिहारी लाल गोयल दर्ज है। इस तरह आर्टीआई

ये हैं आर्टीआई में मिले दस्तावेज

KRISHNA COMPUTERS
Boileauganj, Shimla-171 005

This is to certify that Mr./Ms. Mamta Goel
son/daughter of Sh. Jaswant Rai
has successfully completed Certificate Course in Desk Top Publishing/
Application Packages Conducted by this Institute from 1.4.1992
to 31.7.1992
His/Her performance was Excellent/Good/Satisfactory.
Certificate granted on 28th Aug 1992

Affected
Course Director
Assistant Engineer
Road & Building Dept.
M.C. Shimla

Serial No. 1187 Roll No. 72552
Regn. No. 2004/2005

Kurukshetra University

RESULT-Detailed Marks Card
M.A. History (Fourth Semester) Examination, May/June, 1987.

Name: Mamta Goel
Father's Name: Shri. Jaswant Rai

PAPER	Marks Obtained	Max. Marks	Minimum Pass Marks
1. Paper-V Group	41	100	35
2. Paper-VI Group	36	100	35
3. Paper-VII Group	57	100	35
4. Paper-VIII Group	59	100	35
Aggregate	193	400	160
Marks obtained in 1st Semester	184	400	160
Marks obtained in 2nd Semester	200	400	160
Marks obtained in 3rd Semester	198	400	160
Grand Total	775	1600	640

Note: - Indicates that the candidate has been granted grace marks for passing/improvement in this/these paper(s) passing in the aggregate.

RESULT: - See Sr. No. 1 below

- Passed and has obtained 100% marks in the whole examination next time, if otherwise eligible.
- He/She is required to re-appear in the whole examination next time, if otherwise eligible.
- He/She is required to re-appear in the whole examination next time, if otherwise eligible.
- Failed, last chance, maximum period exhausted.

Deputy Registrar (Exams.)
Karnahatra
July 25, 1989

Serial No. 19 Roll No. 288
Regn. No. 2004/2005

HIMACHAL COMPUTER CENTRE
(REGISTERED)
SHIMLA - 171003 (H.P.)

COMPUTER PROGRAMMING EXAMINATION
SESSION JULY 1994 - JUNE 1995

Certified that MAMTA GOEL
son/daughter of Shri. BIHARI LAL GOEL
r/o SHIMLA Distt. has qualified the COMPUTER DIPLOMA COURSE IN
FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC DATA
PROCESSING AND PROGRAMMING in the subjects
mentioned below held in JUNE 1995
obtaining 1 GRADE.

SUBJECTS	MARKS OBTAINED	MAXIMUM MARKS
1. COMPULSORY		
1. COMPUTER FUNDAMENTALS	100	200
2. BASIC PROGRAMMING	100	200
3. DBASE III & IV	100	200
4. DATA ENTRY	100	200
5. WORD PROCESSING	100	200
6. DOS/UNIX	100	200
7. OPTIONAL		
1. WINDOWS	100	200
2. WINDOWS	100	200
GRAND TOTAL (Or thousand & thirty five)	1035	1600

Given under the seal of the Institute
SHIMLA-171003
Date: 13/07/86
Mamta Goel
Sign. of the Holder
Incharge, Computer Centre (Regd.)
SHIMLA - 171003
INSTITUTIONAL MEMBERSHIP No. 91302
COMPUTER SOCIETY OF INDIA